



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256604
CG-DL-E-23082024-256604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3252]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946

No. 3252]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

का.आ. 3568(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तलेरे गगनबावडा कोल्यहापुर रोड (NH - १६६जी) समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सिंधूदूर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६६-जी तलेरे- गगनबाडा-कोल्हापूर के खंड ६/०० कि.मी. चौ. ११/०० कि.मी. और चौ. १९/३०० कि.मी. (करूल घाट कि शुरुआत) से ३५/३०० कि.मी. (गगनबाडा का अंत) राष्ट्रीय राजमार्ग १६६-जी से २ लेन पक्के शोल्डर/ २ लेन कॉन्फिगरेशन लेन, लंबाई २१.०० कि.मी. तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी कणकवली को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदूर्ग जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६६-जी तलेरे- गगनवाडा-कोल्हापूर के खण्ड ६/०० कि.मी. चौ. ११/०० कि.मी. और चौ. १९/३०० कि.मी. (करूल घाट कि शुरुआत) से ३५/३०० कि.मी. (गगनवाडा का अंत) राष्ट्रीय राजमार्ग १६६-जी से २ लेन पक्के शोल्डर/ २ लेन काँन्फिगरेशन लेन, लंबाई २१.०० किमी तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सिंधुदूर्ग		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वैभववाड़ी					
गांव का नाम: नाधवडे					
1	1666/1 Part	निजी	वरकस	0.0385 (हेक्टेयर)	0.0385
2	1666/2 Part	निजी	वरकस	0.0345 (हेक्टेयर)	0.0345
3	1674 Part	निजी	वरकस	0.035 (हेक्टेयर)	0.035
4	1675 Part	निजी	वरकस	0.136 (हेक्टेयर)	0.136
5	1676 Part	निजी	वरकस	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
6	1677 Part	निजी	कृषक	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
7	1678 Part	निजी	वरकस	0.023 (हेक्टेयर)	0.023
8	1679 Part	निजी	वरकस	0.346 (हेक्टेयर)	0.346
9	1710 Part	निजी	कृषक	0.029 (हेक्टेयर)	0.029
10	1710 Part	निजी	वरकस	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
11	1711 Part	निजी	वरकस	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
12	1717 Part	निजी	कृषक	0.087 (हेक्टेयर)	0.087
13	1718 Part	निजी	कृषक	0.094 (हेक्टेयर)	0.094
14	1719 Part	निजी	वरकस	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
15	1720 Part	निजी	कृषक	0.071 (हेक्टेयर)	0.071

16	1721 Part	निजी	वरकस	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
17	1722 Part	निजी	वरकस	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
18	1723 Part	निजी	कृषक	0.059 (हेक्टेयर)	0.059
19	1723 Part	निजी	वरकस	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
20	1724 Part	निजी	वरकस	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
21	1726 Part	निजी	वरकस	0.098 (हेक्टेयर)	0.098
22	1728 Part	निजी	वरकस	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
23	1771 Part	निजी	कृषक	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
24	1771 Part	निजी	वरकस	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
25	1772 Part	निजी	वरकस	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
26	1774 Part	निजी	कृषक	0.143 (हेक्टेयर)	0.143
27	1775 Part	निजी	वरकस	0.112 (हेक्टेयर)	0.112
28	1776 part	निजी	वरकस	0.078 (हेक्टेयर)	0.078
29	1801 part	निजी	वरकस	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
30	2024 part	निजी	वरकस	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
31	2335 part	निजी	वरकस	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
कुल योग					1.731

[फा. सं. RO/MUM/NH(0)/2022-23/08/3A]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2024

S.O. 3568(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), Rehabilitatyion & up gradation for Talere Gaganbawada Kolhapur Road (NH-166G) stretches start from Ch.6/00 Km. to Ch. 11/00 Km. and Ch. 19/300 Km. (Start of KarulGhat) to 35/300 Km. (End of Gaganbawada) of NH-166G to 2 Lane Paved Shoulder/2 lane Configuration lane Length 21.00 Km. in the State of Maharashtra on EPC Mode, hereby declares its intention to acquire Such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely,the Sub Divisional Officer Kankavali office, Kankavli Tal. Kankavli Dist. Sindhudurg, writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner,

and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Within the stretch of land from Ch. 6/00 Km. to Ch. 11/00 Km. and Ch. 19/300 Km. (Start of Karul Ghat) to 35/300 Km. (End of Gaganbawada) of NH-166G to 2 lane Paved Shoulder/2 lane Configuration lane, length 21.00 Km.) of the National Highway No 166G Talere- Gaganbawda- Kolhapur in the State of Maharashtra

State: MAHARASHTRA			District: SINDHUDURG		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Vaibhavvadi					
Village: Nadhawade					
1	1666/1 Part	Private	Varkas	0.0385 (Hectare)	0.0385
2	1666/2 Part	Private	Varkas	0.0345 (Hectare)	0.0345
3	1674 Part	Private	Varkas	0.035 (Hectare)	0.035
4	1675 Part	Private	Varkas	0.136 (Hectare)	0.136
5	1676 Part	Private	Varkas	0.01 (Hectare)	0.01
6	1677 Part	Private	Agriculture	0.022 (Hectare)	0.022
7	1678 Part	Private	Varkas	0.023 (Hectare)	0.023
8	1679 Part	Private	Varkas	0.346 (Hectare)	0.346
9	1710 Part	Private	Agriculture	0.029 (Hectare)	0.029
10	1710 Part	Private	Varkas	0.03 (Hectare)	0.03
11	1711 Part	Private	Varkas	0.056 (Hectare)	0.056
12	1717 Part	Private	Agriculture	0.087 (Hectare)	0.087
13	1718 Part	Private	Agriculture	0.094 (Hectare)	0.094
14	1719 Part	Private	Varkas	0.007 (Hectare)	0.007
15	1720 Part	Private	Agriculture	0.071 (Hectare)	0.071
16	1721 Part	Private	Varkas	0.025 (Hectare)	0.025
17	1722 Part	Private	Varkas	0.001 (Hectare)	0.001
18	1723 Part	Private	Agriculture	0.059 (Hectare)	0.059
19	1723 Part	Private	Varkas	0.032 (Hectare)	0.032
20	1724 Part	Private	Varkas	0.007 (Hectare)	0.007
21	1726 Part	Private	Varkas	0.098 (Hectare)	0.098
22	1728 Part	Private	Varkas	0.024 (Hectare)	0.024
23	1771 Part	Private	Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
24	1771 Part	Private	Varkas	0.069 (Hectare)	0.069
25	1772 Part	Private	Varkas	0.004 (Hectare)	0.004
26	1774 Part	Private	Agriculture	0.143 (Hectare)	0.143
27	1775 Part	Private	Varkas	0.112 (Hectare)	0.112

28	1776 part	Private	Varkas	0.078 (Hectare)	0.078
29	1801 part	Private	Varkas	0.009 (Hectare)	0.009
30	2024 part	Private	Varkas	0.01 (Hectare)	0.01
31	2335 part	Private	Varkas	0.001 (Hectare)	0.001
Total					1.731

[F. No. RO/MUM/NH(0)/2022-23/08/3A]

ABHAY JAIN, Director